बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–ह0क0सह0–(यो0 / बुनकर अंशदान)–55 / 2022 / .... पटना, दिनांक– ....

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार।*

विषय– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) के तहत बुनकर अंशदान की राशि 10% को राज्य योजना से प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कुल 5.00 लाख (पाँच लाख़) रुपये मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के साथ निकासी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–2799 दिनांक–27.06.2022 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) के तहत बुनकर अंशदान की राशि 10% को राज्य योजना से प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कुल 5.00 लाख (पाँच लाख़) रुपये मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्राप्त आवंटन राशि 5.00 लाख (पाँच लाख़) रुपये मात्र की निकासी एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP) के तहत विभिन्न घटकों यथा–नये कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (सी0डी0पी0) / प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर आदि योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित बुनकर अंशदान जमा करने में राज्य के बुनकर सक्षम नहीं हो पा रहे है। अतएव राज्य योजना मद से बुनकर अंशदान की राशि 10% को राज्य योजना से प्रतिपूर्ति किये जाने से बुनकरों के रोजगार एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय माँग संख्या–23 अन्तर्गत बजट–मुख्य शीर्ष–2851– ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–23–2851.00.103.0103, विषय शीर्ष–0103–33–01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में 5.00 लाख (पाँच लाख़) रुपये मात्र विकलित होगा। जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. प्राप्त बजट आवंटन के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी प्राप्त आवंटन के आधार पर वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC 26 पर अग्रिम के रूप में निकासी कर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के बैंक खाता बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष विकास भवन, पटना के Account No.-000235002100002, IFSC Code-YESBOBSCB01 में RTGS के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस योजना के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे जो योजना का अनुश्रवण करेंगे।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका सं0–ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022 के पृष्ठ–22/टि0 पर दिनांक–02.02.2026 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022 के पृष्ठ–22/टि0 पर दि0–03.02.2026 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि0 (2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022/........................ पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

6

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022/........................ पटना, दिनांक–..................................
प्रतिलिपि–वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022/........................ पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) एवं आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0सह0–(यो0/बुनकर अंशदान)–55/2022/ 209 पटना, दिनांक– 13/02/2026
प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0
12/02/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।